घीसा बनाम अमरचन्द वगै0
वाद संख्या 119/2023

16/08/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा मुख्यतः बटवारे का है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.05.2024 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षकारान/ खातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव से सभी पक्षकारान सहमत है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें। वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ0डी0 किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिससे उभय पक्ष भी सहमत है एवं समस्त खातेदारान के हस्ताक्षर अंकित है। अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक **विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2024/4691 दिनांक 24.07.2024 द्वारा प्रस्तावितानुसार को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर** नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.04.22 17:04:29 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ... ना

Scanned with OKEN Scanner